सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 126 / 2015 अपील (RCMS/2015/00010)
पंजीयन दिनांक – 17.09.2015
निर्णय दिनांक – 21.05.2018

1. श्री प्रतापसिंह पिता चमन सिंह दारोगा, निवासी बिछोर, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलान्ट

बनाम

1. श्री सत्यनारायण पिता मोहनलाल सोमानी, निवासी बिछोर, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के विधिक वारिसान
   1/1 श्रीमती सुनिता देवी पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण सोमानी
   1/2 श्री हितेश सोमानी पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण सोमानी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सुनीता देवी, निवासी बिछोर, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के विधिक वारिसान
2. तहसीलदार शहर भूमिधारी, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री तारेश्वर मोड़	– वकील अपीलान्ट
2. श्री संजय सेन	– वकील ररेस्पोंडेन्ट संख्या–1/1 से 1/2

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 56/2012 दिनांक 02.06.2015

निर्णय

दिनांक 21.05.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 56/2012 दिनांक 02.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा धारा अन्तर्गत 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत पत्थरगढ़ी करवाने बाबत सहायक जिला कलक्टर, बेगूं के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि एन. एच.27 में मर्ज हो जाने की रिपोर्ट पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी प्रस्तुत की जिससे पत्थरगढ़ी की काग्रवाही संभव नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिला कलक्टर, बेगूं द्वारा कैम्प कोर्ट बिछोर पर दिनांक 02.06.2015 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया उक्त आदेश दिनांक 02.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट अनुपस्थित। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 उपस्थित। वकील रेस्पोडेंट की एकतरफा बहस दिनांक 14.05.2018 को सुनी गई। वकील अपीलान्ट को एक सप्ताह में लिखित बहस पेश करने का मौका दिया गया। वकील अपीलान्ट की लिखित बहस अप्राप्त।

अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में बताया कि अपीलान्ट की भूमि मौजा गांव बिछोर प.ह. बिछोर, तहसील बेगूं की जमाबन्दी 2068 से 2071 की खतौनी संख्या 239 में अंकित आराजीयात अपीलान्ट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में होकर जिनकी तफसील निम्न है। खाता संख्या 239 आराजी न. 1614 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1619/1 मीन रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1620 मीन रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं 1621/1 रकबा 0.01 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर है। अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत पत्थरगढ़ी करवाने बाबत सहायक जिला कलक्टर, बेगूं समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिला कलक्टर, बेगूं द्वारा कैम्प कोर्ट बिछोर पर दिनांक 02.06.2015 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर यह कथन करते हुए निर्णय पारित किया है कि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 में मर्ज हो चुकी है जिसकी पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकती है, प्रार्थी मुआवजे की कार्यवाही कर सकता है। जबकि उक्त भूमि रेवेन्यू रेकार्ड में आज भी अपीलान्ट के नाम पर दर्ज है तथा उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में मर्ज होती तो रेवेन्यू रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पर नहीं होती तथा न ही प्रार्थी उक्त भूमि पर कब्जे काश्त हो सकता था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 अन्तर्गत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट्स सं. 1/1 व 1/2 ने बहस में बताया कि आराजी संख्या 1620 मी एवं 1621 मी की भूमि एन.एच.27 से मर्ज हो चुकी है। सहवन से यह भूमि प्रतापसिंह के नाम पर दर्ज चली आ रही है जो एन.एच.27 में मर्ज हो जाने से पत्थरगढ़ी किया जाना संभव नहीं है। आ.स. 1620 एवं 1621 मूल में से स्वयं प्रतापसिंह ने रकबा 0.01 एवं 0.01 हैक्ट. भूमि का विक्रय किया था। पत्थरगढ़ी हेतु आवेदित भूमि का मुआवजा, एन.एच.27 में मर्ज हो गई, नहीं मिला है तो नियमानुसार कार्यवाही हेतु अपीलान्ट स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट द्वारा अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर अधीनरस्थ न्यायालय. के निर्णय को यथावत रखने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के साथ वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी संवत 2068–2071 प्रस्तुत की गई जिसमें भूमि अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज होना अंकित है। निर्णय दिनांक 02.06.2015 पारित किये जाने के समय अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये दस्तावेजों के परिक्षण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। न ही अपीलार्थीगण को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई के अवसर प्रदान किये जाना प्रतीत होता है। पारित आदेश एक तरफा होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझे है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर, बेगू का आदेश दिनांक 02.06.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण सहायक कलक्टर, बेगूं को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर